2021/338

श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक – पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी बलराम पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, मूल रसीद, आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी.प्रुफ पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री हनुमान पुत्र लेखराम जाति कुम्हार निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 09.12.2014 को करवाई थी उनका स्वर्गवास दिनांक 27.10.2021 को हो चुका है, जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान तनसुखराम पुत्र गोपीराम एवं रामप्रताप सेवटा पुत्र देवीलाल ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्योपतराम श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

<u>जिला पंजीयक महोदय</u>

28/12/21

28/12